

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
आरक्षण प्रकोष्ठ

क्रमांक	2495
दिनांक	22-7-09

क्रमांक एफ 9- / 2009/आ0प्र0/एक,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 2009

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल म0प्र0,

पं. क्र. 422/शाखा-3/09
21-8-09

ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त सभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, म0प्र0 ।

विषय :- मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 का पालन सुनिश्चित कराने बाबत ।

-0-

भूतपूर्व सैनिकों के लिये राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों में सीधी भरती से भरे जाने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक(राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 अधिनियमित किया गया है।

2/- भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी में 20 प्रतिशत होरिजेण्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाईज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही उक्त नियम के नियम - 4. के उप नियम-3 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

" खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप अन्यथा भरे जाने वाले किसी पद में किसी भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित कोई भी रिक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी सामान्य अभ्यर्थी से तब तक नहीं भरी जायेगी, जब तक की उक्त प्राधिकारी ने -

(एक) रोजगार कार्यालय से (जहाँ रोजगार कार्यालय से अधियाचना की गई है) अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो,

(दो) पुनर्वास महानिदेशक को निर्देश करके किसी यथोचित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता सत्यापित न कर ली हो तथा उस आशय का एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित न कर लिया हो, और

(तीन)राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया हो


J.D (U.A) कक्षा-मप

22 JUL 2009

निरंतर.....2.....

मद on 18/8

3/ शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उक्त नियमों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है, अतः भूतपूर्व सैनिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक(राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।


(अकीला हशमत)
उप सचिव


मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पुष्ठांकन क्रमांक एफ 9-1 / 2009 / आ0प्र0 / एक,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 2009

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर,
3. सचिव, मान0 मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म0प्र0 भोपाल,
11. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर,
13. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
14. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण / अभिलेख / पुस्तकालय,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


(आर0के0 गजभिये)


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक/1712/422/आ0प्र0/शा-3/09,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/7/09

तमसत क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, रीवा एवं जबलपुर
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


संचालक उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

elc